<u>2024 का विधेयक संख्यांक 111</u>

[दि बिल्स आफ लेडिंग बिल, 2024 का हिन्दी अनुवाद]

वहन-पत्र विधेयक, 2024

किसी वहन-पत्र में नामित पारेषिती तथा किसी वहन-पत्र के पृष्ठांकिती के वाद में अधिकारों और सभी दायित्वों के अंतरण, जिन्हें वहन-पत्र में वर्णित माल की संपत्ति पारेषिती या पृष्ठांकिती होने के कारण संक्रान्त करने और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

वणिकों की रुढ़ि द्वारा माल के वहन-पत्र के पृष्ठांेकन से अन्तमरणीय होने के कारण, माल में उसके द्वारा पृष्ठांरकिती को संक्रांत हो सकता है किन्तुण फिर भी वहन-पत्र में अन्तर्विष्ट संविदा के बारे में सब अधिकार मूल माल भेजने वाले या स्वानमी में निहित रहते हैं,

और यह समीचीन है कि ऐसे अधिकार स्वरत्व के साथ संक्रांत होने चाहिएं

और प्राय: ऐसा होता है कि वह माल जिसके बारे में वहन-पत्र हस्तावक्षरित किए गए तात्प र्यित होते हैंफलक पर नहीं चढ़ाया जाता है ;

और यह उचित है कि मूल्य के लिए वास्तविक धारक के पास ऐसे वहन-पत्र , मास्ट र या उस पर हस्ता क्षर करने वाले किसी अन्ये व्यहक्तित द्वारा इस आधार पर प्रश्नउगत नहीं किए जाने चाहिए कि माल पूर्वोक्त रूप से चढ़ाया नहीं गया है ।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वहन-पत्र अधिनियम, 2024 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

वहन-पत्रों के अधीन अधिकारों का परेषिती या पृष्ठांिकिती में निहित होना ।

2. किसी वहन-पत्र में नामित प्रत्येतक माल परेषिती को, तथा किसी वहन-पत्र के प्रत्यैक पृष्ठां किती क्रोजिसको उसमें वर्णित माल में स्वंत्वअ ऐसे परेषण या पृष्ठां कन प या उसके कारण संक्रांत होगा , बाद के सब अधिकार अन्तेरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे तथा वह ऐसे माल के बारे में उन्हीं दायित्वोंर के अधीन इस प्रकार होगा मानो उस वहन-पत्र में अन्तेर्विष्ट संविदा ऐसे परेषिती या पृष्ठांकिती के साथ की गई हो ।

अभिवहन में रोकने के या भाड़े के लिए दावों के अधिकार पर प्रभाव न पड़ना ।

3. इस अधिनियम में अन्ततर्विष्टट किसी बात—से

(क) अभिवहन में रोकने के किसी अधिकार पर; या

(ख) मूल माल भेजने वाले स्वाीमी के विरुद्ध भाड़े का दावा करने के किसी अधिकार पर ; या

(ग) परेषिती पृष्ठांाकिती के ऐसे परेषिती या पृष्ठांदकिती होने के कारण परिणामस्व रूप ऐसे परेषण या पृष्ठांतकन के कारण या परिणामस्व रूप उसके द्वा माल की प्राप्तिव के कारण या परिणामस्व रूप उसके किसी दायित्व , पर

प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा या वह प्रभावित नहीं होगा ।

परेषिती आदि के पास वहन-पत्र का मास्टहर आदि के विरुद्ध लदान का निश्चाधयक साक्ष्यम होना ।

4. (1) मूल्य वान प्रतिफल के लिए परेषिती या पृष्ठांंकिती के पास प्रत्येनक वहन-पत्र जो किसी जलयान पर माल का लादा जाना प्रतिदर्शित करता है, मास्टार या उस पर हस्ताजक्षर करने वाले किसी अन्यं व्य्क्तिर के विरुद्ध ऐसे लदान का इस बात के होते हु भी कि माल या उसके किसी भाग का इस प्रकार लदान न किया गया हो उस दशा के सिवाय निश्चा यक साक्ष्य होगा जब कि वहन-पत्र के ऐसे धारक को उसे प्राप्तत करने के समय वास्त्व में यह सूचना थी कि माल वस्तुजत: जलयान पर नहीं लादा गया था :

परन्तुस मास्टेर या ऐसे हस्तासक्षर करने वाला कोई व्यनक्तिा अपने आप को ऐसे दुव्य्र्पदेशन से यह दर्शित करके विमुक्तत कर सकेगा कि वह उसकी ओर से किसी व्य्तिक्रम के बिना और पूर्णत: माल भेजने वाले के या धारक के या किसी ऐसे व्योक्ति के, जिसके अधीन धारक दावा करता है, कपट के कारण हुआ है ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात वहां लागू होगी , जहां वहन-पत्र धारक को ऐसा वहन-पत्र प्राप्त करने के समय वास्तव में यह जानकारी थी कि माल का लदान नहीं किया गया था ।

केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

5. केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों को पूरा करने के लिए ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

6. (1) भारतीय वहन-पत्र अधिनियम, 1856 का लोप किया जाता है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, वह,—

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या किसी

कार्रवाई या जिसे इस अधिनियम के अधीन किया जाना या करना तात्पर्यित है या तद्धीन हुई किसी बात ; या

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित , उदभूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व ; या

(ग) किसी नियम के प्रचालन, जारी की गई अधिसूचना, आदेश, नोटिस या निदेश या तदधीन दी गई छूट को जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है और तब तक वे प्रवृत्त रहेंगी जब तक इसे इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन निरसित या अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता है ; या

(घ) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन किसी उल्लंघन की बाबत उपगत शास्ति को ; या

(ङ) पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार , विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, की बाबत किसी कार्यवाही या उपचार को और ऐसी कार्यवाही या उपचार को संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा, प्रवृत्त किया जा सकेगा और कोई ऐसी शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी मानो की अधिनियम को निरसित नहीं किया गया था ;

(च) किसी अन्य विधान, नियम, आदेश या किसी अन्य विधिक लिखत में निरसित अधिनियम के प्रति किए गए निर्देश को और कोई ऐसा निर्देश जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, का अर्थान्वयन इस अधिनियम या उसके तत्स्थानी उपबंधों के प्रति किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशिष्ट विषयों के वर्णन को निरसन के प्रभाव के
1897 का 10 संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के प्रतिकूल या साधारणतया लागू होने के प्रति प्रभावित करने वाली अभिनिर्धारित नहीं की जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय वहन-पत्र अधिनियम, 1856 (उक्त अधिनियम) दो परिप्रेक्ष्यों पर ध्यान देने की दृष्टि से वहन-पत्र से संबंधित विधि का संशोधन करने के लिए अधिनियमित किया गया था, अर्थात् :—

(क) वहन-पत्र के पारेषिती या पृष्ठांकिती की संपत्ति के साथ वहन-पत्र में अंतर्विष्ट संविदा के सभी अधिकारों का अंतरण ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी वास्तविक धारक के पास वहन-पत्र के अंतरण को माल को फलक पर लादने के निश्चायक साक्ष्य के रूप में माना जाए ।

2. क्योंकि समुद्र द्वारा माल के वहन में वहन-पत्र पर अधिकारों का पृष्ठांकन, उनके उपयोग का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है, उक्त अधिनियम के उपबंध गहन रूप से, वाणिज्यिक रूप से लागू होते हैं और वह पृष्ठांकितियों और पारेषितियों, जिनको वहन-पत्र अंतरित किया गया है, को वाद और दायित्वों के अधिकारों के अंतरण का अवधारण करने के लिए महत्वपूर्ण हैं ।

3. यद्यपि उक्त अधिनियम के सारवान् परिप्रेक्ष्यों का सुसंगत बना रहना जारी रहेगा, स्वतंत्रता पूर्व का एक कानून होने के नाते यह अनिवार्य है कि उक्त अधिनियम के उपबंधों पर उक्त अधिनियम के सार या मूल भावना को परिवर्तित किए बिना उसका पुनः विश्लेषण किया जाए ताकि उसे समझने को सरल बनाने और आसान करने को सुकर बनाने के लिए उसे आधुनिक विधानों के समान बनाया जा सके । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को पूरा करने के लिए निदेश जारी करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक नए उपबंध को शामिल करने का भी प्रस्ताव है ।

4. तदनुसार उक्त विधेयक को निरसित और नए विधान के साथ पुनः अधिनियमित करने और उक्त प्रयोजन के लिए वहन-पत्र विधेयक, 2024 संसद् में पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
6 अगस्त, 2024

सर्बानंद सोणोवाल